



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223865
CG-DL-E-22122020-223865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4082]
No. 4082]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/Pausha 1, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 48/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) में एचएस कोड को
वित्त अधिनियम, 2020 के समकालिक बनाना।

का.आ. 4645(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (समय-समय पर यथा-संशोधित) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित एक्जिम कोड जिन्हें आईटीसी (एचएस), 2017 में दिनांक 27 मार्च, 2020 के वित्त अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 12) के द्वारा शामिल किया गया है/प्रतिस्थापित किया गया है को निम्नानुसार संशोधित करती है:-

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीतिगत शर्त
8414 51 50	वॉल फैन	मुक्त	--

8529 90 30	टेलीविजन सेट हेतु ओपन सेल	मुक्त	--
8541 40 11	सोलर सेल, असेम्बल नहीं किया हुआ*	मुक्त	--
8541 40 12	सोलर सेल, चाहे तो मॉड्यूल में असेम्बल किया हुआ या पैनल पर हो	मुक्त	--

*यह मद विवरण आईटीसी (एचएस) 2017 में मौजूदा मद विवरण (अर्थात् फोटोसेल:—सोलर सेल चाहे मॉड्यूल या पैनल में असेम्बल हो या ना हो) को प्रतिस्थापित करता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 84 और 85 को दिनांक 27 मार्च, 2020 के वित्त अधिनियम 2020 में किए गए परिवर्तनों को शामिल करने हेतु संशोधित किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/11/एम-17/पीसी-2(क)/ई-1307]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi the 22nd December, 2020

No. 48/2015-2020

Subject: Syncing of HS codes in ITC (HS) 2017- Schedule-1 (Import Policy) with the Finance Act, 2020.

S.O. 4645(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby notifies the following Exim codes which have been inserted/substituted vide the Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020) dated 27th March, 2020, in the ITC (HS), 2017 as below:

Exim Code	Item Description	Policy	Policy Conditions
8414 51 50	Wall fans	Free	--
8529 90 30	Open cell for television set	Free	--
8541 40 11	Solar cells, not assembled*	Free	--
8541 40 12	Solar cells, assembled in modules or made up into panels	Free	--

* this item description substitutes the existing item description (*i.e Photocells: ----Solar cells whether or not assembled in modules or panels*) in ITC(HS) 2017.

Effect of this Notification: Chapter 84 and 85 of ITC (HS) 2017- Schedule-1 Import Policy is amended to incorporate changes as made in the Finance Act, 2020 dated 27th March, 2020.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/11/AM-17/PC-2(A)/e-1307]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade,
& Ex-Officio Addl. Secy.